तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका वास्ते आदेश 8-12-17 को पेश हो।	
8-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश वास्ते आदेश पत्रावली 21-12-17 को पेश हो।	
21-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वाद वादीगण खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा सं. 5/दावा/11 पीठासीन अधिकारी – गरिमा लाठा R.A.S.

दायरा दिनांक 6.1.11

उनवान

1. गजानन्द आ. श्री भंवरलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. राजूलाल आ. श्री भंवरलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज.
3. रामभजन आ. श्री भंवरलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–वादीगण

बनाम

1. कपूरचन्द आ. श्री राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. ग्राम पंचायत जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ़
3. ग्राम पंचायत जर्ये सचिव, ग्राम पंचायत मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ़
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट व धारा 136 एल.आर. एक्ट, वाद बाबत खातेदारी अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : – 21.12.17

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट व धारा 136 एल.आर. एक्ट वादीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं – खाता सं. 22 खसरा सं. 138 मि. रकबा 6 बिस्वा किस्म नाला भट्या जमाबंदी सम्वत् 2026-2029 ग्राम इन्द्रगढ़ में गणेश बेटा गुमान चमार साकिन मोहनपुरा, कपूरचन्द बेटा राजूलाल महाजन

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः......

नामान्तरकरण सं. 90 से खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी के पुराने खसरा सं. 138 रकबा 245 बीघा 6 बिस्वा बिलनाम काबिज काश्त ग्राम इन्द्रगढ़ में स्थित थी उक्त में से 6 बिस्वा को एस.डी.एम. कोटा के आदेश 1863 रेवेन्यू / 61 दिनांक 29.07.1961 को 50 गुना लगान किया जाकर वादीगण के दादा स्व. गणेश आ. गुमान चमार मोहनपुरा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम नामान्तरकरण सं. 90 से दिनांक 10.12.1962 से खाते लगाई गई। उक्त आराजी का रकबा 6 बिस्वा पर वादीगण के दादा जी स्व. गणेश जी का कब्जा निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 स्व. गणेश जी के पास भट्टे पर मुनीम का कार्य करता था अर्थात प्रतिवादी सं. 1 का विवादित आराजी रकबा 6 बिस्वा पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा और न ही वर्तमान में है। बन्दोबस्त सम्वत् 2041-2060 के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व पक्षकारों को नोटिस दिये बिना वादीगण के दादा स्व. गणेश व प्रतिवादी सं. 1 के खाते की कृषि भूमि रकबा 6 बिस्वा को जानबूझकर चारागाह ग्राम पंचायत मोहनपुरा की कृषि भूमि खसरा सं. 314 रकबा 8.83 हैक्टर कायम कर ग्राम पंचायत मोहनपुरा की भूमि में मर्ज कर दिया गया जो गैरकानूनी है तथा बन्दोबस्त विभाग को मूल खातेदार का नाम हटाकर अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के नाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण के दादा ने अपने जीवीत अवस्था में वादीगण के पिता भंवरलाल आ. श्री माधो जाति बैरवा के पक्ष में स्वर्गवास मृत्यु होने से पूर्व जीवीत अवस्था में कागज व स्टाम्प उपलब्ध नही होने की सूरत में मौखिक रूप से वसीयत दिनांक 20.01.1975 को मृतक गणेश ने अपनी चल-अचल सम्पति भंवरलाल आ. श्री माधो को दी। भंवरलाल जीवीत अवस्था में काबिज काश्त रहा। भंवरलाल की मृत्यु के बाद वादीगण वर्तमान में विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वादीगण द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रतिवादी सं. 1 का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा वादीगण प्रतिवादीगण की जानकारी में निर्बाध रूप से काबिज रहकर लाभ प्राप्त करते हुए चले आ रहे जिसके कारण वादीगण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्त के आधार पर स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुके है तथा वादीगण एवं उनके पिता भंवरलाल गणेश कि मृत्यु दिनांक 20.01.1975 से ही निरन्तर व निर्बाध रूप से अर्थात 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज रहने की वजह से प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा

कब्जा लेने की अवधि भारतीय मियाद अधि० का अनु० 64 के अनुसार समाप्त हो चुकी है। अतः वादीगण को खसरा सं० 314 रकबा 8.83 है० में से 6 बिस्वा कृषि भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण को खातेदार कृषक दर्ज किया जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 2 लगा० 4 के बाद तामील नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं० 1 का सम्मन् दैनिक समाचार पत्र मे प्रसारित किये जाकर तलबी कराये जाने हेतु आदेश दिया गया प्रतिवादी सं० 1 अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2026-2029 जो प्रदर्श सं० 1 नकल नामान्तकरण सं० 90 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2030-2033 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2034-2037 प्रदर्श 4., नकल जमाबंदी सम्वत् 2034-2037 खसरा सं० 138 मिन रकबा 199 बीघा 10 बिस्वा प्रदर्श 5, खसरा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 प्रदर्श-6, मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2041-60, खसरा सं० 314 रकबा 8.83 है० प्रदर्श-7, नकल बंदोबस्त 2041-2060 खसरा सं० 315 रकबा 5.60 है० प्रदर्श-8, मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2041-2060 खसरा सं० 311 रकबा 0.10 है० खसरा सं० 313 रकबा 0.10 है खसरा सं० 316 रकबा 12.30 है०, प्रदर्श-9 गणेश का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-10, धारा 91 भू राजस्व अधि० नोटिस प्रदर्श-11 रजि० नोटिस धारा 80 की प्रति प्रदर्श-12, रजि० नोटिस ग्राम पंचायत मोहनपुरा प्रदर्श-13, प्रदर्श 14 लगायत 17 पोस्ट ऑफिस की रसीद प्रदर्श 18 लगायत 19 नोटिस प्राप्त, प्रदर्श 20 लगा० 24 धारा 91 एल आर एक्ट नोटिस, प्रदर्श 25 से 28 लगान रसीदे पेश की गई। मौखिक साक्ष्य में वादी गजानन्द PW1 साक्षी दौलतराम PW2 व रामप्रसाद PW3 के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

हमारे द्वारा अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि बन्दोबस्त 2041 से 2060 के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व पक्षकारों को नोटिस दिये बिना वादीगण के खातेदारी की खाते की कृषि भूमि 6 बिस्वा को जानबूझकर चारागाह ग्राम

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

क्रमशः..

पंचायत मोहनपुरा की कृषि भूमि खसरा नं. 314 रकबा 8.83 है. कायम कर नाम पंचायत मोहनपुरा की भूमि में मर्ज कर दिया गया। यह गैर कानूनी है। बन्दोबस्त विभाग को मूल खातेदार का नाम हटाकर अन्य का नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने पक्ष में हमने बजानंद वादी स्वयं गवाह दौलतराम व रामप्रसाद के बयान करवाये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य - प्रदर्श सं. 1 से प्रदर्श सं. 28 पेश किये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत - RLW 2007 (1) Page 59 - Bisbal thro -ugh LRs. Vs. Smt. Gyarsi & Anr., RRD 2003 Page 298 Tarsingh & Ors. V/s Khet Singh & Ors. RRD 2013 Page 143 Jaipur Development Autho -rity V/s Ramkumar & Ors., RLW 2013 (1) Page 74 Harinarayan & Anr. V/s Bhagirath & Ors पेश किये।।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपल -ब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा सम्वत् 2026 से 2029 ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील की खाता सं. 22 के खसरा सं. 138 में रकबा 6 बिस्वा किस्म नाला भय्या जो गणेश बेटा गुमान चमार साकिन मोहनपुरा, कपूरचन्द बेटा राजूलाल महाजन जमा. सं. 90 से खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त खातेदारान के स्थान स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना वाद में की गयी साथ ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की प्रार्थना भी कि गयी है। पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य निकले - वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण सं. 4 में गणेश आ. गुमान की मृत्यु दिनांक 20.1.1975 को लाऔलाद फौत होना बताया गया। गणेश द्वारा अपनी जीवित अवस्था में मौखिक वसीयत द्वारा वादीगण के पिता भंवरलाल आ. श्री माधो को अपनी चल-अचल सम्पत्ति वसीयत कीया जाना का तथ्य लिखा गया। उक्त मौखिक वसीयत

उपखण्ड अधिकारी (बूंदी)

क्रमशः...

के आधार पर उक्त प्रकरण में खातेदारी नहीं दी जा सकती। क्योंकि वसीयत के लिये आवश्यक है कि वह लिखी हुयी हो उस पर वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर दो गवाहों के सामने हुए हो तथा उनमे से एक व्यक्ति जो गवाह हो वो न्यायालय के सामने आकर वसीयत का किया जाना, उस पर दस्तखत होना व दो गवाही होना प्रमाणित करे। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में तथा गवाह साक्ष्य शपथ पत्र PW2 व PW3 मे गणेश द्वारा वादीगण के पिता कंवरलाल आ० माधो के पक्ष मे मौखिक वसीयत किये जाने का बयान दिये लेकिन केवल 'जीवनकाल' शब्द लिया गया। किस निश्चित तिथि को उक्त मौखिक वसीयत की गयी का कोई उल्लेख नही किया गया है। गवाहन की आयु शपथ पत्र - दर्ज नही पायी गयी। इससे यह भी तथ्य सिद्ध नही हो पाता कि जो गवाह है वो "मौखिक वसीयत" के समय वयस्क थे या नहीं। गणेश आ० गुमान की पत्नी के भी मौत होने का तथ्य लिया गया है लेकिन पत्नी की मृत्यु संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया। इसी प्रकार वाद पत्र की चरण सं 5 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार द्वितीय श्रेणी के वारिस होने के अधिकार का तथ्य लिया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 - निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति का न्यायगमन होने के प्रावधान है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद पत्र में मौखिक वसीयत किया जाना वही दूसरी ओर हिन्दू विधि - धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिस होना दो भिन्न तथ्य लिये गये है। उक्त विवेचन के आधार पर गणेश आ० गुमान की वाद विषयक आराजी पर वादीगण के पक्ष में हक व अधिकार को साबित करने में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में गणेश आ गुमान की आराजी पर खातेदारी अधिकार को साबित करने में सफल नहीं हुए है।

साथ ही वादीगण के वादपत्र के चरण सं. 2 में यह तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

क्रमशः....

लिया कि प्रतिवादी सं. 1 कपूरचन्द आ० श्री राजूलाल स्व. गणेश
जी के पास मटे पर मुनीम का कार्य करता था। प्रतिवादी सं. 1))
का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा व न ही
वर्तमान में है। इस प्रकार कपूरचन्द की हिस्से कि आराजी पर कब्जे
के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की प्रार्थना की गयी है
कब्जे के आधार पर दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना
आवश्यक है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर उसका वास्तविक भौतिक
कब्जा वास्तविक मालिक व अन्य किसी को भी खुले रूप से निष्कासित
करते हुए वास्तविक मालिक की जानकारी के बावजूद लगातार व निर्बाध
रहा है। इन घटकों को पूरा करते हुए वाद दायरी की दिनांक को
कम से कम 12 वर्ष तक लगातार व निर्बाध रूप से वाद ग्रस्त
सम्पति का उपयोग - उपभोग में रहने पर ही कब्जा स्थापित माना
जा सकता है। प्रदर्श सं. 20 से 28 का अवलोकन किया गया। प्रदर्श
सं. 20, 21 व 22 पश्चातवर्ती अतिक्रमण पर जारी किये गये धारा 91
भू राजस्व अधिनियम के तहत जारी किये गये नोटिस है। भू राजस्व अधिनियम
की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है,
नोटिस दिया जाकर, सुनवाई की जाकर तदनुसार निर्णय, शास्ति
अधिरोपित किया जाने तथा बेदखली की कार्यवाही की जाने के प्रावधान
है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर सिविल कारावास का प्रावधान भी
है। जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 में गणेश आ० गुमान व
कपूरचन्द बेटा राजूलाल दोनो सहखातेदार दर्ज है। वाद पत्र की चरण
सं. 2 में यह कथन किया है कि उक्त आराजी पर स्व. गणेश जी
का कब्जा सम्पूर्ण 6 बिस्वा पर था व कपूरचन्द गणेश जी के पास

क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

अरसे पर कार्य-मुनीम का कार्य करता था। कपूरचन्द का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। न्यायालय का विचार है कि विधि का सुस्थापित नियम है कि एक सह अधिकारी का कब्जा सभी का कब्जा है। एक सहअधिकारी के विरुद्ध कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार साबित नही किये जा सकते। वर्तमान प्रकरण में स्व. गणेश व कपूरचंद की स्थिति जमाबंदी सम्वत 2020-2021 के आधार पर सहखातेदार की है। अतः गणेश का कब्जा होने से भी कपूरचंद का कब्जा भी माना जाएगा। वादीगण गणेश की मौखिक वसीयत तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि. धारा 8 के तहत वारिस होने के आधार पर गणेश की आराजी पर खातेदारी का दावा कर रहे है यदि इस पर विचार कर भी लिया जावे तो भी कपूरचंद की स्थिति सहखातेदार की है। विधि का सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार का कब्जा सभी का कब्जा है। अतः कपूरचन्द की हिस्से की आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को कपूरचंद के हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। वादीगण के वाद में तृतीय विवाद्यक जो राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती से सम्बन्धित है। इस सन्दर्भ में हमारा विचार है कि उक्त आराजी में राजस्व रिकार्ड में त्रुटि है या नही यदि त्रुटि है तो उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती का अधिकार नही है, राजस्व रिकार्ड को अद्यतन रखने की जिम्मेदारी भूअभिलेख तहसीलदार की है। यदि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि है तो इस सन्दर्भ में प्रभावित खातेदारान विधिवत कार्यवाही करे।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवां

व इजलास सुश्री ज्योति ……… आर.ए.एस

1 गजानन्द आत्मज भंवरलाल बनाम 1. कपूरचन्द आत्मज राजूलाल जाति महाजन

जाति बैरवा निवासी इन्द्रगढ़ निवासी ग्राम मोहनपुरा वगैरह

वगैरह जिला बून्दी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

वादीगण अप्रार्थीगण

दावा बाबत 88, 89 RTA धारा 136 LR Act

मुकदमा नम्बर 5/दावा/11 सन ……… व हाजिरी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे

श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ………

……… मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निज ……… मुबलिग ……… बाबत ……… खर्चा इन

मुकद्दमें के मय सूद बशरह ……… फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक ……… का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-12-2017 माह ………

सन ……… को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. राजूलाल आ. भवरलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी)
3. रामभजन आ. भवरलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रगढ़ —"— —"—

बनाम . वादीगण

2. ग्राम पचांयत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़
3. ग्राम पचायंत जरिये सचिव ग्राम पचायंत मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)